औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा-2017

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE COMPETITIVE ADMISSION TEST–2017

(I.T.I.C.A.T.)

विवरण-पुस्तिका

प्रवेश सत्र 2017

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

(बिहार सरकार)

ऑन लाईन भरे हुए आवेदन पत्र की 'हार्ड' कॉपी पर्षद
कार्यालय में प्राप्ति की अन्तिम तिथि : **02.05.2017**
परीक्षा की तिथि : **28.05.2017**

विषय-सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	3
2.	संस्थान एवं सम्बन्धित जिला / जिले	3
3.	संस्थान / पाठ्यक्रम / उपलब्ध सीटें	3
4.	विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें	3
5.	आरक्षण	4
6.	सैनिक कर्मचारी-कोटा (SMQ) के अन्तर्गत (सैन्यपाल्य हेतु) अतिरिक्त आरक्षित सीटें	4
7.	विकलांग कोटा के अन्तर्गत अतिरिक्त आरक्षित सीटें	4
8.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा : मुख्य तिथियाँ / प्रश्न पत्र / परीक्षा स्तर	5
9.	मेधा सूची	5
10.	आवेदन पत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क	6
11.	आवेदन पत्र भरने से संबंधित विशेष सूचना	10
12.	प्रवेश पत्र	10
13.	परीक्षा केन्द्र	10
14.	प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त	10
15.	अन्य आवश्यक सूचनायें	11

सारणी एवं परिशिष्ट

सारणी-1 :	संस्थानवार सम्बन्धित जिला / जिलों का विवरण	12-13
सारणी-2 :	विभिन्न संस्थानवार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / उपलब्ध सीटों का विवरण	14-28
परिशिष्ट-1 :	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विकलांग अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु विकलांगता की मानक अर्हता ।	29
परिशिष्ट-2 :	OMR से सम्बन्धित	30-33
परिशिष्ट-3 :	फोटो-शीट ।	34

****

LIST OF ENCLOSURES (CHECK LIST)
अनुलग्नकों की सूची (जाँच सूची)

SN. क्रम सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from where it should be obtained व्यक्ति/ संस्थान/ संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
1.	(i) Certificate of passing (ii) Marks sheet and (iii) Admit Card for Matric/ equivalent Examination (only Admit Card in the case of a candidate appearing in the qualifying examination). माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा का (i) प्रमाण पत्र (ii) अंक पत्र एवं (iii) प्रवेश पत्र [अगर अभ्यर्थी अर्हक परीक्षा में सिर्फ सम्मिलित हुआ हो तो केवल प्रवेश पत्र]।	Board / equivalent बोर्ड / समकक्ष
2.*	In case of appearing candidate in the qualifying Examination, a certificate clearly mentioning the subjects and stating that the result of such examination has not been published. अभ्यर्थी अगर अर्हक परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह किन-किन विषयों के साथ अर्हक परीक्षा में सम्मिलित हुआ है एवं परीक्षाफल अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है ।	Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य
3.	Caste certificate. जाति प्रमाण-पत्र ।	Concerned C.O. of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत ।
4.	Character certificate. चरित्र प्रमाण पत्र ।	Head of Institution last attended. जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हों, उसके प्राधानाचार्य / प्राचार्य ।
5.	Application Form (Part-A). आवेदन पत्र (पार्ट-A)	Duly filled in by the candidate and photo pasted on the specified place on it. अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ एवं निर्दिष्ट स्थान पर फोटो चिपकाया हुआ ।
6.	Photograph . फोटोग्राफ ।	Photograph (As per 10.3 of the Prospectus) फोटोग्राफ (विवरण पुस्तिका की कंडिका-10.3 के अनुसार)।
7.	(i) Certificate for permanent resident of Bihar. बिहार के स्थायी / मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र ।	Concerned C.O. of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत ।
	*(ii) Refugee Registration certificate. शरणार्थी निबन्धन प्रमाण पत्र ।	DM/ Refugee Registration Officer जिला पदाधिकारी / शरणार्थी निबन्धन पदाधिकारी
	*(iii) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the Govt. of Bihar. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता बिहार सरकार के कर्मी हैं ।	Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्त्ता ।

शेष अगले पृष्ठ.... पर

SN. क्रम सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from where it should be obtained व्यक्ति/ संस्थान/ संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
*(iv)	Certificate showing that the applicant's parent is an employee of Govt of India and posted in Bihar or an employee of any Public Sector Undertaking of the Government of India and posted in Bihar at the time of the submission of the application. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता आवेदन पत्र देने के समय भारत सरकार के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में पदस्थापित हैं या भारत सरकार के किसी उपक्रम के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में कार्यरत हैं ।	Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्त्ता ।
*(v)	Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the United Nations Organisation and that he/ she is at present posted in Bihar. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता युनाईटेड नेशन्स आर्गनाईजेशन के कर्मी (Employee) हैं एवं वे संप्रति बिहार में पदस्थापित हैं ।	Employer concerned. सम्बन्धित नियोजनकर्त्ता ।
*(vi)	Certificate for Servicemen's Quota (SMQ), clearly mentioning the relationship of the candidate. सर्विस मेन्स कोटा (SMQ) प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है ।	As per paragraph 6 of this Prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-6 के अनुसार ।
*(vii)	Certificate for DISABLED Quota. विकलांगता कोटा (DQ) प्रमाण पत्र ।	As per paragraph 7 of this Prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-7 के अनुसार ।
*(viii)	Certificate for LAND DONOR QUOTA. भूमिदाता कोटा (LDQ) प्रमाण पत्र ।	As per paragraph 7.5 of this Prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-7.5 के अनुसार ।

* **<u>Note :</u>** *To be furnished wherever applicable.*
आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें ।

बिहार सरकार

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा-2017

1. बिहार सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापांक 1694 दिनांक 27.12.2001 के अधीन राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन राज्य स्तर पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम-1995 के अधीन गठित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के माध्यम से किया जायेगा ।

2. **संस्थान एवं सम्बन्धित जिला :**

किसी जिले में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ संस्थानों में नामांकन हेतु उससे सम्बन्धित जिला को परस्पर सम्बद्ध किया गया है । संस्थानवार सम्बद्ध जिला की विवरणी सारणी संख्या-1 में दी गयी है । कोई पात्रता-प्राप्त उम्मीदवार केवल एक जिला में स्थित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन दे सकता है जिसके चयन हेतु विकल्पों के लिये कंडिका 4.5(क) एवं (ख) देखें।

3. **संस्थान / पाठ्यक्रम / उपलब्ध सीटें :**

विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानवार उपलब्ध व्यवसायिक पाठ्यक्रमों / सीटों की विवरणी सारणी संख्या 2 में उपलब्ध है।

बिहार सरकार द्वारा अगर किसी जिला में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / संस्थानों के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों / सीटों की संख्या में फेर बदल किया जाता है तो इसकी जानकारी, नामांकन हेतु साक्षात्कार के पूर्व दे दी जायेगी ।

4. **विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें :**

4.1 **शैक्षणिक :-**

(i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या सी.बी.एस.ई. द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में गणित एवं विज्ञान के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा में गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में अलग-अलग उत्तीर्ण होने के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण ।

(ii) माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में प्रवेश सत्र (2017) में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन दे सकते हैं । लेकिन कॉउन्सेलिंग/ साक्षात्कार के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

(iii) आई.टी. सेक्टर पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा (साईन्स के साथ) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(iv) गैर-अभियंत्रण व्यवसाय में नामांकन के लिए सिर्फ माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

4.2 **आवासीय :-**

केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं, जो भारत के नागरिक हैं और निम्नलिखित में से कम-से-कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं :

(i) जिनके माता / पिता/ पति बिहार के स्थायी / मूल निवासी हैं।

(ii) जिनके माता / पिता/ पति बिहार में निर्बंधित शरणार्थी (रिफ्यूजी) हैं।

(iii) जिनके माता / पिता / पति बिहार सरकार के कर्मचारी हैं ।

(iv) जिनके माता / पिता / पति बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों / संस्थानों के बिहार में पदस्थापित कर्मचारी हैं ।

(v) जिनके माता / पिता/ पति राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हैं ।

(vi) जिसके पति बिहार के निवासी / बिहार में पदस्थापित हैं उस विवाहित महिला के लिए, उसके पति का आवासीय प्रमाण पत्र, पत्नी पर लागू होगा ।

4.3 **शारीरिक :-**

प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की डॉक्टरी जाँच करायी जायगी । मेडिकल जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जाएगा । स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

4.4 **आयु :-**

(क) दिनांक 01.08.2017 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए तद्नुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि 01.08.2003 के बाद नहीं होनी चाहिए । मेकैनिक मोटर व्हिकिल एवं मेकैनिक ट्रैक्टर के लिये उक्त तिथि को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु अनिवार्य है। अधिकतम आयु का बंधन नहीं है।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों / युद्ध के चलते हुई विधवाओं के लिये अधिकतम उम्र का कोई बन्धन नहीं है।

4.5 **नामांकन हेतु जिला का चयन :**

(क) प्रत्येक पात्रता-प्राप्त उम्मीदवार निम्नलिखित विकल्पों में से केवल एक ही जिला में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन दे सकता है :

(i) जिस जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / संस्थानों से सम्बद्ध जिला के मूल निवासी होने का कंडिका 4.2 (i) के अनुसार विधिवत निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त हो ।

(ii) जिस जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन दे रहे हैं उस जिला में उसके माता/ पिता / पति के कंडिका 4.2 (iii) से (vi) के अनुसार पदस्थापित होने का विधिवत निर्गत प्रमाण पत्र

प्राप्त हो ।

(iii) जिस जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन दे रहे हैं उस जिला के किसी विद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने या उसमें सम्मिलित होने का उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से विधिवत निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त हो ।

(iv) जिस जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन दे रहे हैं उस जिला में विवाहित महिला के पति का कंडिका- 4.2(vi) के अनुसार विधिवत निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र हो ।

(ख) महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, पात्रता-प्राप्त महिला अभ्यर्थियों का ही नामांकन होगा और इस निमित्त सभी महिला अभ्यर्थियों की कोटिवार, समेकित मेधासूची बनायी जायेगी ।

5. आरक्षण :

(क) नामांकन हेतु चयन के लिये Online आवेदन-पत्र की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं लागू किये गये आरक्षण अधिनियम / नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा ।

(ख) जो आवेदक बिहार राज्य के स्थायी निवासी (Permanent resident) हों उनके लिये प्रत्येक संस्थान में नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा Online आवेदन-पत्र की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं :-

क्रम	कोटि		आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	–	**16 %**
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	–	**1 %**
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	–	**18 %**
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	–	**12 %**
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	–	**3 %**

शेष **50 %** अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (General Category : GEN) की समझी जायेंगी।

(ग) जो आवेदक बिहार के स्थायी / मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में कंडिका 5(ख) में कर्णांकित की गई आरक्षण कोटि की सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या- 11/आ0 विविध-50/2011 सा० 2710 दिनांक 26.08.2011 के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

(घ) **Online आवेदन-पत्र की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत SC/ST/EBC/BC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) निर्धारित की जायेगी।**

(ङ) (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि में मनोनुकूल पाठ्यक्रय / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपने सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेरिट पर पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा ।

ii. इस सन्दर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करती है तो विचारोपरान्त उसे अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

6. सैनिक कर्मचारी-कोटा (SMQ) के अन्तर्गत (सैन्यपाल्य हेतु) आरक्षित सीटें :

6.1 बिहार राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिकों / सेवारत / सेवानिवृत्त / दिवंगत सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्रों / आश्रित अविवाहित पुत्रियों / बिहार राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संस्थान में जो सीटें (सर्विसमेन्स कोटा) आरक्षित हैं वे उस संस्थान में उपलब्ध कुल सीटों के 5% से अधिक नहीं होगी ।

6.2 सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए योग्य पाये गए अभ्यर्थियों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2017 में कुल प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जाएगा। इनमें से जो अभ्यर्थी मेधा के अनुसार सामान्य सीट पर प्रवेश पायेंगे, वे इस आरक्षण के अतिरिक्त होंगे । उपर्युक्त अर्हता वाले छात्रों के अभाव में ये सीटें खाली रहेंगी।

6.3 सैनिक कर्मचारी कोटा की इन आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने हेतु सेवारत सैनिक कर्मचारियों / सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्रों / आश्रित अविवाहित पुत्रियों के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन हेतु साक्षात्कार / काउंसेलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है :

(i) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवारत सैनिक कर्मचारियों / अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक पर्षद (डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड) द्वारा निर्गत सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये) ।

(ii) डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) / पेंशन बुक ।

(iii) जिला दण्डाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी (सिविल) द्वारा निर्गत ''सम्बन्ध एवं आश्रित'' प्रमाण पत्र (यदि क्रमांक 6.3.(i) या 6.3.(ii) **से सम्बन्ध एवं आश्रित होना स्पष्ट नहीं होता हो) ।**

7. विकलांग कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

विकलांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की तीन प्रतिशत सीटें, विकलांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी ।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा Online आवेदन-पत्र की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक, जारी आदेश / निर्देश के अनुरूप, विकलांग कोटा के अन्तर्गत सीटों का आवंटन किया जायेगा ।

7.1 विकलांग कोटा के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना दावा अंकित कर परिशिष्ट 1 में वर्णित प्राधिकार द्वारा निर्गत विकलांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र

संलग्न करें । इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये ।

7.2 नामांकन / काउन्सेलिंग के समय विकलांगता के संदर्भ में कंडिका 7.1 में वर्णित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

विकलांग अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु विकलांगता की मानक अर्हता परिशिष्ट-1 में देखें ।

7.3 विकलांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर विकलांग आवेदक उन्हीं पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जिसके लिये स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित विकलांगता के अनुरूप उनकी विकलांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी । डॉक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिये कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसकी पुष्टि सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य डाक्टरी जाँच द्वारा करवा लेंगे और तत्पश्चात ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस डॉक्टरी जाँच के लिये कोई शुल्क नहीं लगेगा।

7.4 विकलांगों के लिए आरक्षित सीट / सीटें यदि सम्बन्धित जिला के विकलांग कोटि के उपलब्ध उम्मीदवारों के नामांकन के बाद भी रिक्त रह जाती हैं तो रिक्ति के अनुसार उन्हें सम्बन्धित जिला के उसी कोटि के ही उम्मीदवारों से भरा जायगा।

7.5 **भूमिदाता कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :**

भूमिदाता कोटा के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौरा (सारण) के प्रत्येक व्यवसाय में प्रवेश सत्र 2017 में नामांकन हेतु एक-एक सीट आरक्षित है, जो उस संस्थान के सम्बन्धित व्यवसाय की सामान्य कोटि के लिए आवंटित सीटों में शामिल है ।

सक्षम भूमिदाता के विवरण सहित तत्सम्बन्धी प्रमाणीकरण श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त होने पर संगत नामांकन की अनुकूल कार्रवाई की जा सकेगी ।

भूमिदाता कोटा के अन्तर्गत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र (फार्म संख्या-5) के अनुसार, अनुशंसा-पत्रअपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा । भूमिदाता कोटा के लिए मेधासूची अलग से बनायी जायेगी, परन्तु यदि इस कोटा के लिए अनुशंसित एवं निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण इस कोटा की सीटें रिक्त रह जायेंगी एवं इसे सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा ।

8. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा : मुख्य तिथियाँ/ प्रश्न पत्र / परीक्षा स्तर ।**

8.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये **प्रवेश** सत्र 2017 में नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एक चरण में सम्पन्न की जायेगी, जिसकी मुख्य तिथियाँ निम्नवत हैं -

(i)	Online Registration starting date	:	21.03.2017
(ii)	Online Registration closing date	:	18.04.2017 (11.59 P.M.)
(iii)	Last date of payment through challan	:	21.04.2017 (upto working hours of the bank)
(iv)	Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card with final submission of the online Application Form of Registered candidate	:	21.04.2017 (11.59 P.M.)
(v)	Online Editing of Application Form	:	22.04.2017 to 25.04.2017 (11.59 P.M.)
(vi)	The hard copy of the online submitted application form (Part-A & Part-B) alongwith paid Bank Challan & enclosures dispatched by Registered / Speed Post must reach at the specified address mentioned in para 5(i) above latest by	:	02.05.2017 (5.00 P.M.)
(vii)	Issue of Online Admit Card	:	01.05.2017
(viii)	Proposed date of Examination	:	28.05.2017 (Sunday)

8.2 प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में रहेंगे । सभी प्रश्न वस्तुपरक (Objective) होंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर, उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर निर्देशानुसार देंगे । उत्तर पत्रक का नमूना (Sample OMR Type Asnwer Sheet) तथा सम्बन्धित निदेश अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। वास्तविक प्रश्नों की संख्या नमूने के उत्तर पत्रक में दिये गये प्रश्नों की संख्या से भिन्न हो सकती है ।

8.3 परीक्षा के क्रम एवं अवधि में प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है । उत्तर पत्रक की पीठ पर दिये गये गद्यांश को नीले / काले 'बॉल प्वाइंट' कलम से अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रुप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थल पर करना अत्यावश्यक है अन्यथा उनके उत्तर पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा ।

8.4 **प्रश्न पत्र / परीक्षा की अवधि / परीक्षा स्तर :**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक ही वस्तुपरक प्रश्न पत्र होगा । परीक्षा की अवधि, पूर्णांक, विषय तथा परीक्षा स्तर निम्नलिखित हैं -

अवधि 2 **घंटा** 15 **मिनट पूर्णांक** 300

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक	परीक्षा स्तर
गणित	50	100	माध्यमिक
सामान्य विज्ञान	50	100	माध्यमिक
सामान्य ज्ञान	50	100	माध्यमिक
	-----	----	
	150	300	

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे । गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं होगी ।

9. **मेधा सूची :**

9.1(क) निर्धारित प्रश्न पत्र के कुल प्राप्तांको के आधार पर प्रत्येक जिला में स्थित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / संस्थानों में नामांकन हेतु चयन के लिये पात्रता-प्राप्त आवेदकों की कोटिवार एक ही मेधा सूचियाँ बनाई जायेंगी। प्रत्येक जिला के लिये इस प्रकार बनाई गई मेधा सूचियों से उस जिला में स्थित संस्थानों की व्यावसायिक पाठ्यक्रमवार / कोटिवार उपलब्ध सीटों को पात्रता-प्राप्त आवेदकों द्वारा मेधा-सह-विकल्प के आधार पर उस जिले के संस्थानों की सीटें भरी जायेंगी ।

(ख) **निर्धारित प्रश्न पत्र के कुल प्राप्तांकों के आधार पर सभी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये पात्रता-प्राप्त**

महिला आवेदकों की कोटिवार पूरे बिहार के लिये एक ही मेधासूची बनाई जायेगी । इस प्रकार बनाई गई मेधासूची से सभी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की व्यावसायिक पाठ्यक्रमवार / कोटिवार उपलब्ध सीटों को पात्रता-प्राप्त आवेदकों द्वारा मेधा-सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा ।

9.2 **यदि दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के कुल प्राप्तांक समान हों तो उनका मेधाक्रम निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा :**

क्रम	स्तर क्रम	मेधाक्रम
1.	प्राप्तांकों का जोड़ समान होने पर	गणित खंड में कुल प्राप्तांक के अनुसार
2.	स्तर (1) समान होने पर	सामान्य विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार
3.	स्तर (2) समान होने पर	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो

9.3 मेधा सूची/ परीक्षाफल तैयार करने में टंकण में या कम्प्यूटर से किसी प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

10. आवेदन पत्र, विवरण पुस्तिका तथा परीक्षा शुल्क :

10.1 आवेदन पत्र, विवरण पुस्तिका तथा परीक्षा शुल्क : ITICAT-2017 में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका (Prospectus) पर्षद के उपरोक्त Website : www.bceceboard.com से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। Online आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी "Apply for ITICAT-2017" Link पर Click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्देश (Instruction) दिखेगा, जिसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें ।

(i) **Step - One (Registration) :** Registration (निबन्धन) के लिए सारी सूचनायें (Informations) Step-1 के अन्तर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन-प्रपत्र को सही-सही अभ्यर्थी को भरना होगा । उसके उपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर / रजिस्टर्ड email-ID पर अभ्यर्थी को Successfull Registration का एक Message भेजा जायेगा जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा । अभ्यर्थी अपने प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा अपने द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये Password किसी को नहीं बतलाये अन्यथा बी.सी.ई.सी. ई. बोर्ड किसी भी तरह के परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

उपरोक्त विधि से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं स्वयं द्वारा दिये गये Password को भविष्य में प्रयोग / जरूरत के लिए अभ्यर्थी निश्चित रूप से सुरक्षित रख लें । अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर जो उपरोक्त विधि से प्राप्त हुआ है वही उनका User name होगा ।

(ii) **Step - Two (Personal Information) :** जिन अभ्यर्थियों ने ऊपर वर्णित Step One की प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया है वे अपना Registration No. एवं Password द्वारा अपने एकाउन्ट में Login करने हेतु SignIn का बटन Click करें। सफलता पूर्वक Login करने के बाद अभ्यर्थी "Fill the Personal Information" link को Click करें और जैसा कि कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से सम्बन्धित Entries required है पूरी तरह भरें । उच्च कंट्रास्ट का रंगीन / श्वेत-श्याम पासपोर्ट साईज अपना फोटो एवं अपना हिन्दी एवं अंग्रेजी के हस्ताक्षर आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर Upload करें। फोटो Placard के साथ (जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि अंकित हो) खिचवाया हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। उपरोक्त रूप से Personal Information भरने के बाद Step-3 की प्रक्रिया पूरी करने हेतु Submit बटन को Click करें ।

(iii) **Step - Three (Educational Information) :** Step Two की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थी "Fill the Educational Information" link को Click करें और अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Information) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भरें । Educational Information भरने के बाद Submit बटन को Click करें ताकि Step-3 की प्रक्रिया पूरी हो जाये ।

(vi) **Step - Four (Examination Fee) :** जिन अभ्यर्थियों ने ऊपर वर्णित तीनों Step की प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया है वे परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **"Pay Examination Fee"** link पर click करें । परीक्षा शुल्क जमा करने की निम्नांकित दो प्रक्रियाएँ हैं :-

(a) **बैंक चालान के माध्यम से भुगतान :** अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क बैंक चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो "Print Challan" का बटन Click करें । ऐसा करने पर उन्हें बैंक चालान की तीन प्रतियाँ कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त होगी, जिनको वे Download कर लें। ये बैंक चालान की प्रतियां जो क्रमशः बैंक की प्रति, बोर्ड की प्रति एवं अभ्यर्थी की प्रति होगी, के प्रयोग से कैनरा बैंक की किसी शाखा में निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करें । परीक्षा शुल्क के बैंक चालान के माध्यम से जमा करने हेतु आवश्यक विवरणी नीचे दिया गया है।

निर्धारित परीक्षा शुल्क केनरा बैंक में जमा करने के बाद अभ्यर्थी को केनरा बैंक से ''Paid चालान'' की बोर्ड प्रति एवं अभ्यर्थी की प्रति प्राप्त होगी। बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु रु. 60/- (साठ रूपये) की अतिरिक्त राशि का भुगतान अभ्यर्थी को करना होगा।

(b) **ऑन लाइन भुगतान :** अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान Online करना चाहते हैं तो "Online Payment" Link को Click करें। तृतपश्चात किसी भी बैंक के Net Banking / Debit Card / Credit Card जो वेबसाईट पर Listed है, के द्वारा Transaction Processing Charge एवं Service Tax के भुगतान के साथ अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं ।

(c) **उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक विवरणी निम्नवत् है :-**

जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 750/- (सात सौ पचास) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा । जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 100/- (एक सौ) रुपये एवं विकलांग (Disable) अभ्यर्थियों के लिये 430/- (चार सौ तीस) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

10.2 Dispatch of Aplication Forms, Enclosures and Paid Challan by Registered Post / Speed Post:

Online भरे गये Aplication Forms (Part-A और (Part-B) की Hard Copy जिसे अभ्यर्थी ने Download कर प्राप्त कर लिया है, को भेजने की प्रक्रिया निम्नांकित विधि से पूरी करें :-

(a) पासपोर्ट साईज का वही फोटो जिसे अभ्यर्थी ने स्कैन कर Online भरा है उसे hard copy के निर्धारित स्थान पर चिपकायें ।

(b) निर्धारित स्थान पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर करें । अंग्रेजी के हस्ताक्षर में Capital Letters का प्रयोग वर्जित है ।

(c) यथास्थान जैसा कि Application Form के Part-B में Printed है अपनी ही हस्तलिपि में घोषणा (Declaration) को भरें ।

(d) Paid बैंक चालान की बोर्ड कॉपी (मूल प्रति) Application Form के साथ Attach (नत्थी) करें ।

(e) सभी वांछित प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों की छाया प्रतियों, जो आपके दावे को सम्पुष्ट करते हैं, को Attach करें ।

(f) उपरोक्त विधि से तैयार एवं निर्दिष्ट अनुलग्नकों के साथ पूर्ण किये गये Application Forms को रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजने वाले लिफाफे के उपर "Application for ITICAT-2017" मोटे अक्षरों में लिख दें । साथ ही उसके नीचे जिस जिले में नामांकन हेतु आवेदन दे रहे हों, उस जिला का नाम Bold Letter में अवश्य लिखें ।

(g) Registered Post / Speed Post से Application Form भेजने के लिये जो लिफाफा (Envelope) प्रयोग में लाया जायेगा उसका साईज 17 cm x 30 cm एवं कलर पीला (Yellow) होना चाहिए ताकि उसे सम्बन्धित परीक्षा हेतु आसानी से पहचाना / अलग किया जा सके।

(h) एक लिफाफे में सिर्फ एक ही अभ्यर्थी का आवेदन (Application) होना चाहिए ।

(i) आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) को सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ लिफाफे में रख कर, अच्छी तरह लिफाफे को चिपका दें और उसे निम्न पते पर भेजें ''**Controller of Examination, B.C.E.C.E. Board, I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, P.O.-B.V.College, Patna - 800014।**

नोट : (i) Stepwise Online Application Final Submit करने से पहले कम्प्यूटर स्क्रीन पर Preview Page को अच्छी तरह जाँच लें ताकि आप सुनिश्चित हो जायें कि आपके द्वारा भरी गयी सारी प्रविष्टियाँ (Enteries) सही है । अगर अभ्यर्थी अपनी प्रविष्टियों में कोई सुधार / संशोधन अथवा परिवर्त्तन करना चाहते हैं तो वे Submission से पहले ऐसा कर सकते हैं । अगर सभी सूचनायें (Information) सही तरह प्रविष्ट (Enter) कर ली गयी हैं तभी अन्तिम रूप से प्रत्येक Step को Submit करने के लिए अपना Declaration देकर Submit करें।

(ii) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जायेगा ।

(iii) सभी Step की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध Application Form के Part-A और Part-B को दो प्रतियों में Download कर निश्चित रूप से प्राप्त कर लें । एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखते हुए दूसरी प्रति नीचे लिखे अनुसार पर्षद कार्यालय भेजें।

(iv) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा । अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(क) यदि अभ्यर्थी को Online Application Form भरने के उपरान्त पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में / फोटो / हस्ताक्षर Upload करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु Edit करने का मौका दिनांक 22.04.2017 से दिनांक 25.04.2017 तक दिया जायेगा ।

(ख) Online Application Form में सुधार (Edit) केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना Online Application Form पूर्ण रूप से भर लिया हो ।

(ग) अभ्यर्थी अपने Online Application Form में सुधार (Edit) करने हेतु अपने Registration No. एवं Password डालकर अपने Account में "Sign In" बटन पर Click कर Login In करें तथा आवश्यक सुधार कर Submit करें ।

(घ) **हाथो-हाथ या कोरियर सेवा से Application Form प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है।**

10.3 फोटोग्राफ :

(क) **आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-A एवं पार्ट-B) के निर्दिष्ट स्थानों पर पासपोर्ट साईज (3.5 से.मी. x 4.5 से.मी.) श्याम-श्वेत, उच्च कंट्रास्ट के एक ही निगेटिव से बना ऐसा फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से स्कैन कर लगायें जो सामने से एक तख्ती (Placard) के साथ, जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो।** उदाहरण के लिए नीचे का चित्र देखें :-

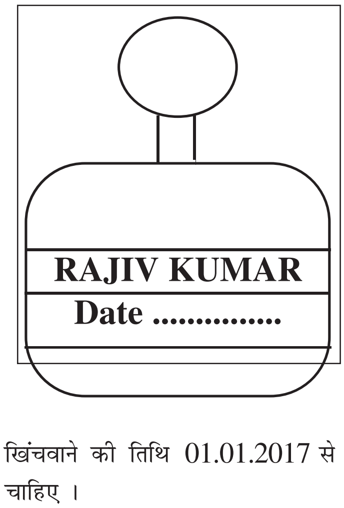

फोटो खिंचवाने की तिथि 01.01.2017 से पहले की नहीं होनी चाहिए ।

(ख) प्रयोग में लाये गये फोटोग्राफ में दोनो कान नजर आने चाहिए।

फोटोग्राफ अस्पष्ट (ओभर एक्सपोज्ड / अन्डर एक्सपोज्ड या डार्क) नहीं होने चाहिए और उनको खिंचवाते समय टोपी (कैप) / काला/ रंगीन चश्मा (डार्क कलर्ड स्पैक्टेकिल्स) नहीं पहना हुआ हो या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं हो अन्यथा सम्बन्धित आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

(ग) Downloaded आवेदन प्रपत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) पर निदेश के अनुसार फोटो चिपकाने के बाद, आवेदक निर्धारित स्थान पर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में करें । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा स्वहस्तलिपि में लिखी गयी घोषणा के नीचे उनके पिता/ माता या अभिभावक की घोषणा के लिए उनका हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

10.4 नाम :

अपना नाम तथा पिता का नाम आवेदन पत्र तथा संलग्न प्रपत्रों के सभी निर्धारित स्थानों पर माध्यमिक परीक्षा समिति/ समकक्ष परीक्षा संस्था/ विश्वविद्यालय के रेकॉर्ड की वर्तनी (spelling) के अनुसार ही लिखें ।

10.5 पता :

पत्राचार/ स्थाई पता में पिन कोड नम्बर का व्यवहार जरूर करें। पत्राचार का पता ऐसी जगह का हो कि आपके पास पत्र जल्द-से-जल्द पहुँच जाए । आवेदन पत्र पर लिखे पता को बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी । पत्राचार का पता गलत होने की स्थिति में पत्र के लौट आने पर परीक्षा पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा ।

10.6 कोटि (Category) :

10.6.1 आरक्षण हेतु उचित कोटि में स्थान पाने के लिए आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उचित कोटि निम्नलिखित संकेत के अनुसार भरें :

	कोटि (Category)	संकेत
i.	General Category (वैसे आवेदक जो SC/ ST/ EBC/ BC में से किसी आरक्षण कोटि में दावा नहीं करते हों)	Gen
ii.	Scheduled Caste	SC
iii.	Scheduled Tribe	ST
iv.	Extremely Backward Caste	EBC
v.	Backward Caste	BC

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (अभिप्रमाणित प्रति या अभिप्रमाणित फोटो प्रति) संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा आरक्षित कोटि के स्थान के लिए विचार नहीं किया जायेगा । इसे निर्धारित संलग्न प्रपत्र के अनुसार होना चाहिए ।

10.6.2 आवेदक अपने आवेदनपत्र/ अन्य संलग्नकों में निर्धारित स्थान पर आरक्षण के दावा के लिए आरक्षण की जिस कोटि (category) को अंकित करेंगे और जिसके लिए निर्धारित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे, वही कोटि परीक्षा एवं सीट/ संस्थान के आवंटन हेतु मान्य होगी। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा । यदि कोई आवेदक अपने आवेदनपत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करता है अथवा निर्धारित स्थान पर आरक्षण कोटि अंकित नहीं करता है, तो उसे सामान्य (Gen) कोटि में समझा जायेगा । आवेदक की किसी गलती/ असावधानी के फलस्वरूप उसके किसी दावा के हनन होने का उत्तरदायित्व उसी आवेदक का होगा। यदि आवेदन प्रपत्र, पार्ट-A एवं पार्ट-B में भिन्न-भिन्न कोटि अंकित होगा तो आवेदन प्रपत्र पार्ट-A में अंकित कोटि ही अंतिम रूप से मान्य होगी ।

10.7 सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) :

10.7.1 यदि आप कंडिका 6 के अनुसार सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के लिये आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित स्थान पर 'Yes' भरें अन्यथा 'No' भरें ।

10.7.2 यदि 'सैनिक कर्मचारी कोटा' के लिये निर्धारित स्थान में आपने 'Yes' भरा है और आप सैनिक कर्मचारी के पुत्र / पुत्री हैं तो निर्धारित स्थान पर सम्बन्ध अंकित करें ।

10.7.3 भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex.-Service Men) कौन है?

As per the Extract of "A Guide To Resettlement of Ex-Service Men-1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement :

(i) An Ex-Service Man is a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Millitia are also now treated as "Ex-Service Men".

(iii) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as "Ex-Service Men" by the Ministry of Defence.The Categories are :

(a) Pension Holders of the continuous embodied service.

(b) Disabled Territorial Army personnel

with disability attributed to Military Service.

(c) Family Pension Holders.

(d) Gallantry Award Winners.

10.8 विकलांग कोटा :

यदि आप कंडिका 7 के अनुसार विकलांग कोटा के लिये आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित स्थान पर 'Yes' भरें अन्यथा 'No' भरें ।

10.8 क भूमिदाता कोटा :

यदि आप कंडिका 7.5 के अनुसार भूमिदाता कोटा के लिये आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित फार्म संख्या-5 और 6 में अपना विकल्प अंकित करें ।

10.9 शैक्षणिक अर्हतायें :

निर्धारित स्थान पर कंडिका 4.1 के अनुसार जो भी अर्हतायें आपके लिये लागू हों उनके लिये उत्तीर्ण परीक्षाओं का नाम तथा विषयवार प्राप्तांकों को भरें ।

10.10 जन्म-तिथि :

जन्म-तिथि अंग्रेजी कैलेन्डर के अनुसार तिथि, महीना तथा वर्ष के क्रम में अंग्रेजी अंकों में लिखें । जन्म-तिथि वही हो जो माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक परीक्षा) या समकक्ष दसवीं परीक्षा के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अभिलिखित हो ।

10.11 लिंग (Sex) :

निम्नांकित के अनुसार निर्धारित स्थान में लिंग अंकित करें :

i. Male (पुरुष)

ii. Female (महिला)

10.12 आवासीय विवरण :

आवेदनपत्र में उचित आवासीय विवरण भरें । इस संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि आवेदक आवासीय विवरण में उल्लिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प की पुष्टि करते हों (देखें कंडिका 4.2) । **इसके लिए निर्धारित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करें ।**

10.13 नामांकन हेतु चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित जिला :

(क) कंडिका 4.5 में उल्लिखित विकल्पों के आधार पर नामांकन हेतु जिला का चयन करें ; फिर चयनित जिला (देखें सारणी-1) एवं अपने आवासीय प्रमाण पत्र में अंकित जिला का नाम निधारित स्थान पर लिखें।

(ख) यदि चयनित जिला और आवासीय प्रमाण पत्र में अंकित जिला के नामों में, विवरण पुस्तिका की कंडिका 4.5 एवं सारणी-1 के आलोक में, कोई विसंगति होगी या इनके नाम निर्धारित स्थान पर अंकित नहीं किये जायेंगे तो स्थायी पता में अंकित जिला में ही आवेदक का नामांकन हेतु विकल्प माना जायेगा।

10.14 घोषणा :

आवेदक के पिता / अभिभावक (यदि पिता जीवित न हों तो) तथा आवेदक के लिये निर्धारित अलग अलग घोषणा पत्र स्वहस्तलिपि में भरा तथा हस्ताक्षरित होना चाहिये । आवेदक को अपनी घोषणा स्वहस्तलिपि में आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर लिखकर, अपना हस्ताक्षर करना आवश्यक है अन्यथा उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

10.15 जिला कोड :

आवेदन पत्र के क्रमांक 15 पर आवेदक जिस जिला का निवासी हो, उस जिला का कोड निम्नलिखित के अनुसार भरें।

क्रमांक	जिला	कोड	क्रमांक	जिला	कोड
1.	पटना	01	21.	दरभंगा	21
2.	भोजपुर	02	22.	समस्तीपुर	22
3.	बक्सर	03	23.	मधुबनी	23
4.	रोहतास	04	24.	सहरसा	24
5.	भभुआ	05	25.	मधेपुरा	25
6.	नालन्दा	06	26.	सुपौल	26
7.	गया	07	27.	पूर्णिया	27
8.	नवादा	08	28.	कटिहार	28
9.	औरंगाबाद	09	29.	किशनगंज	29
10.	जहानाबाद	10	30.	अररिया	30
11.	अरवल	11	31.	भागलपुर	31
12.	सारण	12	32.	बांका	32
13.	सिवान	13	33.	मुंगेर	33
14.	गोपालगंज	14	34.	बेगुसराय	34
15.	वैशाली	15	35.	खगड़िया	35
16.	मुजफ्फरपुर	16	36.	जमुई	36
17.	सीतामढ़ी	17	37.	लखीसराय	37
18.	शिवहर	18	38.	शेखपुरा	38
19.	पूर्वी चम्पारण	19	39.	बिहार के बाहर	99
20.	पश्चिमी चम्पारण	20		अन्य सभी स्थान ।	

(i) उपरोक्त जिलों के कोड मे से उचित कोड आवेदन पत्र के क्रमांक 15 के निर्धारित स्थान पर भरें । उचित कोड उसी जिला का होगा जिस जिला का आवेदक निवासी है और जहाँ से **आवेदक ने आवासीय अर्हता प्राप्त की हो ।**

(ii) किसी जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / संस्थानों में नामांकन हेतु अर्हता एवं जिला के चयन के लिए कंडिका-4. 5(क), (ii), (iii) एवं (iv) देखें ।

10.16 जाति प्रमाण पत्र :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर उसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है । संलग्न जाति प्रमाण पत्र में अंकित जाति, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित आरक्षण कोटि के लिए सुसंगत होना चाहिए।

10.17 अनुलग्नक की सूची (List of Enclosures) :

जरूरी प्रमाण पत्रों (विवरण पुस्तिका/ आवेदन पत्र के अनुसार) की सत्यापित फोटो प्रतियाँ ही आवेदन पत्र (पार्ट-A और पार्ट-B को सबसे उपर रख कर) के साथ संलग्न कर भेंजे। मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय ही लावें । इस विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 पर वांछनीय प्रमाण पत्रों की सूची वर्णित है।

आवेदनपत्र के साथ किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति/ प्रतियाँ ही भेजें । **प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है । सभी प्रमाण पत्रों/ प्रतिलिपियों पर अपना पूरा हस्ताक्षर अवश्य कर दें ।**

किसी भी मूल प्रमाण पत्र के बदले शपथ पत्र (Affidavit) स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

10.18 आवेदन पत्र भेजने के लिए आवश्यक निर्देश :

आवेदन online submit करने / भेजने के पहले आप सावधानीपूर्वक यह देख लें कि आवेदन पत्र किसी प्रकार अपूर्ण या अशुद्ध तो नहीं रह गया है क्योंकि ऐसे अपूर्ण/ अशुद्ध आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अब आप आवेदन पत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B को सबसे उपर रख कर) प्रमाण पत्रों को एक साथ नत्थी कर दें इसके उपरांत इन्हें लिफाफा में भरकर निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा The Controller of Examination, Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board, I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, P.O.-Veterinary College, Patna-800014. को भेज दें।

10.19 निबन्धित डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जायेगा । कार्यालय में हाथों-हाथ या कुरियर सेवा द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10.20 आवेदन पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि :

(i) आवेदन पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि 02.05.2017 के 5.00 बजे अपराह्न तक है । इस तिथि और समय के बाद जो आवेदन पत्र बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय में पहुँचेगा उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। डाक की गड़बड़ी के कारण निर्धारित तिथि के बाद विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र के अस्वीकार किये जाने के लिए बी. सी.ई.सी.ई. बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा ।

(ii) किसी आवेदक का नकली / जाली आवेदन पत्र या एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

11. आवेदन पत्र भरने से संबंधित विशेष सूचना :

आवेदन पत्र पार्ट-A एवं पार्ट-B में अंकित की गई सूचनाओं में यदि साम्य नहीं होगा तो आवेदन प्रपत्र पार्ट-A में अंकित की गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगी ।

12. प्रवेश पत्र :

(क) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के बाद उपयुक्त पाये गये आवेदकों के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर्षद के Website: **www.bceceboard.com** से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्य (valid) होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर आवेदक को चाहिये कि वह उसकी पीठ पर लिखे निर्देशों को अवश्य पढ़ लें।

(ख) इस विवरण पुस्तिका के परिशिस्ट-3 में दिये गये प्रपत्र पर लगाये गये अपने फोटो की बड़ पोस्ट कार्ड साइज फोटो प्रति यथा स्थान चिपकाने तथा उसे सही-सही भरकर एवं उस पर यथा स्थान अपना हस्ताक्षर कर प्रतियोगिता परीक्षा के समय परीक्षा कक्ष में निश्चित रूप से ले जायें और वीक्षक (Invigilator) के पास अवश्य जमा करें ।

(ग) **प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रवेश पत्र (Admit Card) को पाते ही उसमें अंकित सभी सूचनाओं / प्रविष्ठियों की पूरी जाँच कर लें और उनमें यदि कोई त्रुटि हो तो परीक्षा नियंत्रक, बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना में परीक्षा की तिथि से 5 (पाँच) दिन पहले तक किसी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच आकर अनिवार्य रूप से वांछित संशोधन हेतु सम्पर्क करें, अन्यथा इस तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं किया जायेगा और प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रकार की त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा ।**

प्रवेश पत्र पर परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पूरा हस्ताक्षर करना आवश्यक है । परीक्षार्थी का हस्ताक्षर परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष, परीक्षा केन्द्र की प्रति पर भी होना आवश्यक है ।

13. परीक्षा केन्द्र :

परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उनके प्रवेश पत्र पर अंकित रहेगा। परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। किसी भी हालत में निर्धारित परीक्षा केन्द्र को बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

14. प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त :

14.1 साक्षात्कार / काउंसेलिंग :

(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा के उपरान्त संबंधित मेधा सूची के अनुसार आवेदकों को कॉउन्सेलिंग सम्बन्धित सूचना उचित समय पर डाक द्वारा या बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के वेब साइट **"www.bceceboard.com"** पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जायेगी। मेधा- सह- विकल्प के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके मेधाक्रम पर सम्बन्धित जिला में उपलब्ध संस्थान / पाठ्यक्रम में से स्वेच्छानुसार संस्थान / पाठ्यक्रम के चयन का अवसर दिया जायेगा । कॉउन्सेलिंग Online अथवा Offline निर्णयानुसार सम्पन्न किया जायेगा।

(ii) चयनोपरान्त आवंटन आदेश उपलब्ध रिक्तियों एवं बिहार सरकार के आरक्षण नियम जो आवेदन-पत्र online जमा करने की प्रक्रिया आरम होने की तिथि तक लागू है, के

अनुसार निर्गत किया जायेगा (देखें कंडिका -5) । आरक्षित वर्ग में नामांकन हेतु प्रत्येक संस्थान को एक इकाई माना जायेगा ।

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की छान-बीन एवं जाँच के पश्चात अन्तिम रूप से योग्य पाये गये सभी अभ्यर्थियों को आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि तक डॉक्टरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर निश्चित रूप से चयनित संस्थान / पाठ्यक्रम में नामांकन करा लेना होगा ।

(iv) परीक्षाफल / मेधासूची की तैयारी एवं प्रकाशन के दौरान छपाई में किसी प्रकार की भूल के आधार पर उम्मीदवार नामांकन हेतु आवंटन के लिये हकदार नहीं होंगे ।

14.2 उत्तर पत्रकों/ उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation), दुबारा जोड़ (Retotalling) आदि के लिए आवेदन नहीं लिये जायेंगे और न कोई संबंधित पत्राचार ही स्वीकार्य होगा ।

14.3(क) जो आवेदक अपने मूल आवेदन पत्र/ प्रपत्रों में या परीक्षा के समय उत्तर पत्रक / उत्तर-पुस्तिकाओं में या प्रतियोगिता परीक्षा/ नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में असत्य विवरण / सूचना देंगे या अनुचित तरीके अपनाते पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनको परीक्षा/ नामांकन प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है ।

(ख) **यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त होने अथवा Impersonation का दोषी पाया जाता है या परीक्षा कक्ष में मोबाइल / इलेक्ट्रानिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़ा जाता है तो नामांकन हेतु उसकी/उनकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी और उसके/ उनके विरुद्ध वैधिक कार्रवाई के साथ उसे/उन्हें अगले तीन वर्षों तक पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित (Debar) कर दिया जायेगा।**

15. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

15.1 परीक्षा सम्बन्धी सभी कार्य एवं मेधा सूची इत्यादि का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा । पर्षद् द्वारा परीक्षा सम्बन्धी सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे ।

15.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें ।

15.3 बिहार सरकार / बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को इस विवरण पुस्तिका में सम्मिलित नियमों / प्रावधानों / सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा । संशोधित / परिवर्तित किये गये नियमों/ प्रावधानों / सूचनाओं से संबंधित जानकारी आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य दे दी जायेगी।

15.4(i) कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद (Case) के अंतिम निर्णय होने तक आवेदक को नामांकन / प्रशिक्षण से वंचित रखा जायेगा और बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के पक्ष में निर्णय होने पर उम्मीदवार पर हुये सभी खर्च ब्याज के साथ उम्मीदवार से वसूल किया जा सकता है ।

(ii) विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (School Leaving Certificate) नामांकन के समय लाना पड़ेगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से भिन्न किसी अन्य संस्थान से पात्रता-परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की हो तो उसे दो महीनों के अन्दर प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

15.5 अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा पूर्व / परीक्षा की अवधि / परीक्षा उपरान्त सभी निर्देश एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित सूचना / नियम एवं संलग्न अनुसूची / सारणी इस विवरण पुस्तिका के भाग होंगे ।

15.6 मेधा सूचियों में सम्मिलित आवेदकों को समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से, वेबसाइट द्वारा या पत्रों द्वारा आवश्यक सूचनायें दी जाती रहेंगी । उत्सुकतावश बार-बार पत्र अपनी ओर से कृपया न लिखें क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा ।

15.7 I. T. I. C. A. T. -2017 की विवरण पुस्तिका/ आवेदन पत्र/ अन्य प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है ।

15.8 इस प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन तथा आवेदन से संबंधित कोई भी वाद केवल पटना नगर निगम क्षेत्र अवस्थित न्यायालयों में ही दायर किये जायेंगे और मान्य होंगे । बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिये परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे ।

I.T.I.C.A.T.-2017

सारणी-१ : संस्थानवार सम्बद्ध जिला का विवरण

DISTRICT CODE	DISTRICT NAME	ITI CODE	ITI NAME
01	PATNA	01	I.T.I. DIGHA, PATNA
01	PATNA	02	I.T.I. PALIGANJ
01	PATNA	03	I.T.I. BIHTA, DANAPUR
02	BHOJPUR	04	I.T.I. ARA (BHOJPUR)
02	BHOJPUR	05	I.T.I. PERO (KOTHUA), BHOJPUR
02	BHOJPUR	06	I.T.I. BIHIA, BHOJPUR
03	BUXAR	07	I.T.I. BUXAR
03	BUXAR	08	I.T.I. DUMRAOWN
04	ROHTAS	09	I.T.I. DEHRI ON SONE
04	ROHTAS	10	LWE I.T.I. TUMBA
04	ROHTAS	11	I.T.I. BHELARI, ROHTAS
05	KAIMUR	12	I.T.I. KAIMUR
06	NALANDA	13	I.T.I. KALYAN BIGHA, NALANDA
06	NALANDA	14	I.T.I. HILSA, NALANDA
06	NALANDA	15	I.T.I. RAJGIR
07	GAYA	16	I.T.I. GAYA
07	GAYA	17	I.T.I. TETARIA, TEKARI
07	GAYA	18	I.T.I. MAHAKAR
07	GAYA	19	LWE I.T.I. DUMARIA
08	NAWADA	20	I.T.I. NAWADA
08	NAWADA	21	I.T.I. RAJAULI
09	AURANGABAD	22	I.T.I. AURANGABAD
09	AURANGABAD	23	I.T.I. DAUDNAGAR
09	AURANGABAD	24	I.T.I. BABHANDI
10	ARWAL	25	I.T.I. ARWAL
10	ARWAL	26	LWE I.T.I. SONBHADRA VANSHI
11	JEHANABAD	27	I.T.I. JEHANABAD
11	JEHANABAD	28	LWE I.T.I. MAKHDUMPUR
12	SARAN	29	I.T.I. MARHOWRAH
12	SARAN	30	I.T.I. SONEPUR
12	SARAN	31	I.T.I. CHAPRA
13	SIWAN	32	I.T.I. SIWAN
14	GOPALGANJ	33	I.T.I. HATHWA
14	GOPALGANJ	34	I.T.I. GOPALGANJ
15	VAISHALI	35	I.T.I. HAZIPUR
15	VAISHALI	36	I.T.I. MAHUA
16	MUZAFFARPUR	37	I.T.I. MUZAFFARPUR
16	MUZAFFARPUR	38	I.T.I. PASCHIM MUZAFFARPUR
17	SITAMARHI	39	I.T.I. SITAMARHI
17	SITAMARHI	40	I.T.I. PUPRI
18	SEOHAR	41	I.T.I. SHEOHAR
19	EAST CHAMPARAN	42	I.T.I. MOTIHARI
19	EAST CHAMPARAN	43	I.T.I. SIKHRAHNA
19	EAST CHAMPARAN	44	I.T.I. PAKRIDAYAL
20	WEST CHAMPARAN	45	I.T.I. BETTIAH
20	WEST CHAMPARAN	46	I.T.I. SEMRABAZAR, BAGAHA
20	WEST CHAMPARAN	47	I.T.I. NARKATIAGANJ
21	DARBHANGA	48	I.T.I. DARBHANGA
21	DARBHANGA	49	I.T.I. BIRAUL
21	DARBHANGA	50	I.T.I. BENIPUR

DISTRICT CODE	DISTRICT NAME	ITI CODE	ITI NAME
22	SAMASTIPUR	51	I.T.I. SAMASTIPUR
22	SAMASTIPUR	52	I.T.I. ROSERA
22	SAMASTIPUR	53	I.T.I. PATORI
23	MADHUBANI	54	I.T.I. GHOGHARDIHA
23	MADHUBANI	55	I.T.I. BISFI (MADHUBANI)
23	MADHUBANI	56	I.T.I. SHIV NAGAR, BENIPATTI
23	MADHUBANI	57	I.T.I. JAINAGAR
23	MADHUBANI	58	I.T.I. MADHUBANI SADAR
23	MADHUBANI	59	I.T.I. JHANJHARPUR
24	SAHARSA	60	I.T.I. SAHARSA
24	SAHARSA	61	I.T.I. SIMARI BAKHTIYARPUR
25	MADHEPURA	62	I.T.I. MADHEPURA
25	MADHEPURA	63	I.T.I. UDAKISHANGANJ
26	SUPAUL	64	I.T.I. BIRPUR
26	SUPAUL	65	I.T.I. SUPAUL
26	SUPAUL	66	I.T.I. TIRVENIGANJ
27	PURNEA	67	I.T.I. PURNEA
27	PURNEA	68	I.T.I. VAISHI
27	PURNEA	69	I.T.I. BANMANKHI
27	PURNEA	70	I.T.I. DHANDAHA
28	KATIHAR	71	I.T.I. KATIHAR
28	KATIHAR	72	I.T.I. BARSOI
28	KATIHAR	73	I.T.I. MANIHARI
29	KISHANGANJ	74	I.T.I. KISHANGANJ(THAKURGANJ)
30	ARARIA	75	I.T.I. FORBESGANJ
30	ARARIA	76	I.T.I. ARARIA
31	BHAGALPUR	77	I.T.I. BHAGALPUR
31	BHAGALPUR	78	I.T.I. NAVGACHIYA
31	BHAGALPUR	79	I.T.I. KAHALGAOWN
32	BANKA	80	I.T.I. BANKA
33	MUNGER	81	I.T.I. MUNGER
33	MUNGER	82	I.T.I. HAWELIKHARAGPUR
33	MUNGER	83	I.T.I. TARAPUR
34	BEGUSARAI	84	I.T.I. BEGUSARAI
34	BEGUSARAI	85	I.T.I. TEGHRA
34	BEGUSARAI	86	I.T.I. BALIA
35	KHAGARIA	87	I.T.I. KHAGARIA
36	JAMUI	88	I.T.I. JAMUI
36	JAMUI	89	I.T.I. GIDHOUR
37	LAKHISARAI	90	I.T.I. LAKHISARAI
38	SHEKHPURA	91	I.T.I. SHEKHPURA
	Whole of Bihar	FE	**Women I.T.I.,** DIGHA, SIWAN, MUZAFFARPUR, ARA, DARBHANGA, MOTIHARI, GAYA, BHAGALPUR, SARAN, PURNEA, MUNGER, SAHARSA, BEGUSARAI, JEHANABAD, FORBESGANJ, SUPAUL, ARWAL, JAMUI, SITAMARHI, BUXAR, NAWADA, KATIHAR, BETTIAH, SHEOHAR, VAISHALI, MADHUBANI, AURANGABAD, KISHANGANJ, MADHEPURA & BANKA..